न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 02/2024

अनवान : –

1. राकेश कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. मीरा पत्नी भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
2. रोशनी पुत्री भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
3. वेदप्रकाश पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
4. हरफुल पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
7. दलिप कुमार सहारण पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
8. रामेश्वर पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
9. छबीलदास पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
10. जगदीश पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
11. बनवारी पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
12. रामस्वरूप पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
13. सोहनलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
14. हवासिह पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

16. रजत पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
17. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
18. हनुमान पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी**

निर्णय दिनांकः 08/09/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 81/70 की 3.3753 हैक्ट भूमि के प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 15 ता 18 खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 98/39 की कुल 1.8210 हैक्ट भूमि के अप्रार्थी स0 1 ता 5 खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 116/27 की कुल 0.1138 हैक्ट भूमि के अप्रार्थी स0 7 ता 8 खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 [illegible]/58 की कुल 3.7950 हैक्ट भूमि के अप्रार्थी स0 9 ता 14 खातेदार काश्तकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी अपने गांव से चलकर स्वीकृत रास्ता सड़क से होते [illegible] मु0न0 228/400 मु0न0 12 के किला न0 21/4, 22, 23, 24, 25/1 से चलकर अपने खेत में आवागमन हेतु

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सुविधाजनक व निकटतम रास्ता है तथा किला न0 23, 24 प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी अपने स्वयं के खेत में रास्ता स्वीकृत करवा कर आवागमन हेतु सभी खातेदारों को रास्ता की पूर्ती होती है यह रास्ता सबसे सुविधाजनक व व नजदीक रास्ता है। यही बिनाय प्रार्थना पत्र है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ता 14 तरतीबी अप्रार्थी स0 6 ताा 18 के खेत में चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के प0न0 228/400 मु0न0 12 के किला न0 21/4, 22, 23, 24, 25/1 के पश्चिम से पूर्व की तरफ में से 0.1280 हैक्ट रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश फरमावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 ने जरिये अधिवक्ता इकबाल प्रार्थना पत्र पेश किया जाकर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र सायल मुताबिक इस्तदुआ स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश कर निवेदन किया की अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 5, 6 ने अपना हक हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 3 ता 4 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 व 5 व 6 को तलब करने की कोई आवश्यकता नही है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थी स0 1 ता 14 तरतीबी अप्रार्थी स0 6 ताा 18 के खेत में चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के प0न0 228/400 मु0न0 12 के किला न0 21/4, 22, 23, 24, 25/1 के पश्चिम से पूर्व की तरफ में से 0.1280 हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जावे। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर ईकबाल प्रार्थना पेश किया जा चुका है अर्थात प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के संबंध में किसी को कोई ऐतराज नही है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 81/70 की 3.3753 हैक्ट भूमि के प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 15 ता 18 खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 98/39 की कुल 1.8210 हैक्ट भूमि के अप्रार्थी स0 1 ता 5 खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 116/27 की कुल 0.1138 हैक्ट भूमि के अप्रार्थी स0 7 ता 8 खातेदार काश्तकार है तथा रोही मौजा चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के खाता स0 70/58 की कुल 3.7950 हैक्ट भ[illegible] प्रार्थी स0 9 ता 14 खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थीगण द्वारा इकबाल जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई ऐतराज नही है। किसी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं गैरसायलान की सहमति के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी स0 3 ता 4 व 7 ता 14 तरतीबी अप्रार्थी स0 16 ता 18 के खेत में चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के प0न0 228/400 मु0न0 12 के किला न0 21/4, 22, 23, 24, 25/1 के पश्चिम से पूर्व की तरफ में से 0.1280 हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तहसीलदार नोहर को पालना हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 08/08/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर/रास्ता/2024/ 841 दिनांकः– 12/08/24

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–02/2024 निर्णय दिनांक 21/08/24 ।

प्रकरण संख्या – 02/2024
अनवान : –

1. राकेश कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट निवासी थालड़का तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. मीरा पत्नी भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
2. रोशनी पुत्री भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
3. वेदप्रकाश पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
4. हरफुल पुत्र भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
5. सरोज पुत्री भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
6. विमला पुत्री भानीराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
7. दलिप कुमार सहारण पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
8. रामेश्वर पुत्र चेतराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
9. छबीलदास पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
10. जगदीश पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
11. बनवारी पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
12. रामस्वरूप पुत्र मुखराम जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
13. सोहनलाल पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
14. हवासिह पुत्र इन्द्राज जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

16. रजत पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
17. राजेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।
18. हनुमान पुत्र रामकिशन जाति जाट साकिन थालड़का तहसील नोहर।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 02/2024 अनवान राकेश कुमार बनाम मीरा आदि में निर्णय दिनांक 21/08/24 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन न हो तो वे प्रार्थी व अप्रार्थी स0 3 ता 4 व 7 ता 14 तरतीबी अप्रार्थी स0 16 ता 18 के खेत में चक 19 आरडब्ल्यूडी तहसील नोहर के प0न0 228/400 मु0न0 12 के किला न0 21/4, 22, 23, 24, 25/1 के पश्चिम से पूर्व की तरफ में से 0.1280 हैक्ट रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज दरामद हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.08.14 18:27:44 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर